उत्तर प्रदेश शासन
परती भूमि विकास विभाग
संख्या–47 /85–परती–14/1(समादेश)/09टीसी
लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2014

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली।
2. डा0 संदीप दवें, संयुक्त सचिव, (WM) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव नियोजन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग ,उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग ,उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, ,उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, ,उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ,उ0प्र0 शासन।
13. निजी सचिव, प्रमुख सचिव परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. अपर निजी सचिव, संयुक्त सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. श्री राजेश कुमार, कन्सलटेंट, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एनएएससी काम्प्लेक्स, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली।
17. श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक, वन (डब्ल्यू.एम.) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ब्लाक नं0–11 छठवॉ तल, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
18. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सी–11, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
19. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
20. डा0 वरदानी, अपर निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
21. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, सेक्टर–जी, जानकीपुरम्, कुर्सी रोड, लखनऊ।
22. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
23. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबनधन परियोजना, 23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
24. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, पाण्डु नगर कानपुर।
25. प्रशासनिक अधिकारी, एस.एल.डी.सी. (आईडब्ल्यूएमपी), 23–सी गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को विभागीय वेव साइट पर अपलोड करें।
26. गार्ड फाइल।

24.7.14
(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0 शासन

स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) उ0प्र0 की दिनाँक 11.07.2014 (शुक्रवार) को आयोजित 16वीं बैठक का कार्यवृत्तः–

अध्यक्ष एसएलएनए/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्मानित सदस्य गण, विभागीय अधिकारी गण की उपस्थिति में एसएलएनए की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमे उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है। संयुक्त सचिव, परती भूमि विकास विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए द्वारा बैठक में बिन्दुवार चर्चा एंव प्रजेन्टेशन के माध्यम से अद्यावधिक प्रगति, कार्यवाही, परियोजनाओं का विवरण आदि प्रस्तुत किया गया।

बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

1. एसएलएनए की दिनाँक 01.07.13 में आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2. एसएलएनए की दिनाँक 01.07.13 को आयोजित 15 वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर अनुपालन की स्थिति से सदन को अवगत कराया गया :–

(I) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग तथा परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–65/ PSL/2013 दिनाँक 15.07.2013 द्वारा वर्ष 2013–14 में आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत ₹ 772.11 करोड़ धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 88.092 करोड़ केन्द्रांश अवमुक्त किया गया। गत वर्ष के अवशेष को सम्मिलित करते हुये वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 417.41 करोड़ के सापेक्ष ₹ 256.30 करोड़ विकास कार्यों पर व्यय किया गया।

(II) वित्तीय वर्ष 2010–11 की स्वीकृत 183 परियोजनाओं के विरूद्ध 170 परियोजनाओं का मूल्यांकन चयनित पैनल से कराकर एक्जीक्यूटिव समरी एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्ध0शा0 पत्र सं0–65/पीएसएल/2013 दिनाँक 15.07.2013 द्वारा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। अवशेष 13 परियोजनाओं की एक्जीक्यूटिव समरी एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–68/54–1–14/ 1(समादेश)/08 टीसी दिनाँक 21.04.2014 द्वारा पृथक से भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के Preparatory phase के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ताओं के गठित पैनल में सरकारी एवं शासकीय संस्थायें सम्मिलित थीं, मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल के अनुमोदन का प्रस्ताव शासन के पत्र सं0–356/54–1–2013/ 8(11)/2011 दिनाँक 12.07.2013 द्वारा उपमहानिरीक्षक, वन,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करते हुये अनुमोदन का अनुरोध किया गया।

(III) शासन के पत्र सं0–374/54–1–13/8(3)/2011 दिनाँक 22.07.2013 द्वारा वर्ष 2013–14 में प्रदेश के 29 जनपदों की 67 परियोजनायें, जिनका क्षेत्रफल 328071 हे0 के पीपीआर भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। दिनाँक 12.08.2013 को भारत सरकार की 34वीं स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में उक्त पीपीआर Appraised and Cleared की गयीं।

(IV) स्वीकृत सभी 37 परियोजनाओं के डीपीआर प्राप्त हो गयी है तथा इसे ऑनलाइन भी करा दिया जाये। 16 फोरक्लोज्ड परियोजनाओं की फोरक्लोज्ड रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, कृषि से शासन के पत्र सं0–116/54–1–13/8(2)/2011 दिनाँक 28.02.2013 एवं पत्र सं0–58/54–1–14/8(22)/2011 दिनाँक 21.02.2014 द्वारा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(V) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(VI) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(VII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(VIII) आईडब्ल्यूएमपी योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु कौशल अभिवृद्धि के उद्देश्य से इग्नू द्वारा आयोजित वाटरशेड प्रबन्धन विषयक एक वर्षीय पत्राचार डिप्लोमा कोर्स में पंजीकृत कराने हेतु शारदा सहायक समादेश तथा रामगंगा समादेश से 50–50 अधिकारी/कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या–261/54–1–13/01(01)/2011 दिनाँक 21 मई, 2013 द्वारा अपेक्षा की गयी थी। किंतु समय से सूची न उपलब्ध हो पाने के कारण द्वितीय बैच के लिये प्रशिक्षणार्थियों को पंजीकृत नहीं कराया जा सका है।

(IX) गुजरात में वाटरशेड मैनेजमेंट के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं अध्ययन करने हेतु शासन के पत्र सं0–371/54–1–13/8(8)/2013 दिनाँक 19.07.2013 द्वारा कुल 16 अधिकारियों/तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भेजी गयी थी, जिनके द्वारा दिनाँक 17.08.2013 से 19.08.2013 तक गुजरात प्रदेश में संचालित आईडब्ल्यूएमपी योजना का निरीक्षण एवं अध्ययन किया गया तथा वहां से प्राप्त अनुभवों को प्रदेश में संचालित आईडब्ल्यूएमपी योजना के क्रियान्वयन में समावेश कराया गया।

(X) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XI) बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (BIRD) से विभिन्न दांवधारी (Stake Holders) के प्रशिक्षण एवं

क्षेत्रीय भ्रमण हेतु एसएलएनए से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या–446/54–1–13/14(11)/ 2012 टीसी दिनाँक 12.09.2013 द्वारा आदेश निर्गत किया गया।

(XII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XIII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XIV) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XV) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XVI) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XVII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XVIII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XIX) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XX) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XXI) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XXII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XXIII) आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत इन्ट्री प्वांइट एक्टीविटी, लाइवलीहुड तथा प्रोडक्शन सिस्टम एण्ड माइक्रो इन्टर प्राइजेज के अन्तर्गत Enhancing Income of landless, small and marginal farmers through Goat Development Programme, Comprehensive Sustainable Cattle Development Programme and To Establish Integrated Milk Production and Marketing through farmers organization in Jalaun District of Bundelkhand Region के लिये एसएलएनए से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में शासनादेश संख्या–403/54–1–13/8(36)/2013 दिनाँक 06.08.2013 निर्गत किया गया, परन्तु विधिक कारणों से शासनादेश संख्या–500/54–1–13/2013 दिनाँक 17.10.2013 द्वारा उक्त शासनादेश को निरस्त कर दिया गया। तदुपरांत विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया, जिसके सापेक्ष प्राप्त निविदाओं पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(XXIV) आईडब्ल्यूएमपी योजना से सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स यथा यूजर्स ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाटरशेड कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यगण एवं पीआईए तथा डब्ल्यूसीडीसी कार्मिकों के क्षमता निर्माण/ज्ञानार्जन हेतु एसएलएनए से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–377/54–1–13/01(01)/2010 दिनाँक 29.07.2013 द्वारा प्रदेश में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) के ऐसे समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को जिनके कार्मिकों का वेतन ICAR द्वारा वहन किया जाता है, को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के पैनल में सम्मिलित किया गया है।

(XXV) आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं में परियोजना स्तर पर, प्रारम्भिक चरण में, क्षमता निर्माण हेतु, प्रत्येक माइक्रो वाटरशेड में, पीआईए द्वारा 35,000/– से मात्र एक अभिमुखीकरण (Orientation) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण मद से, कराये जाने सम्बन्धी एसएलएनए से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में शासनादेश संख्या–376/54–1–13/ 8(34)/2013 दिनाँक 29.07.2013 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।

(XXVI) एसएलएनए स्तर पर प्रशासनिक मद की 01 प्रतिशत धनराशि रोके जाने सम्बन्धी व्यवस्था पर एसएलएनए से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–539/54–1–13/8(50)/2013 दिनाँक 25.11.2013 द्वारा आदेश निर्गत किया गया।

(XXVII) एसएलएनए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार आंशिक अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ₹ 7,86,418/– की धनराशि का वितरण सम्बन्धित कार्मिकों को किया जा चुका है। शेष भुगतान जनपदों से उपस्थिति एवं वर्क–आउटपुट का सत्यापन प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

(XXVIII) एसएलएनए उ0प्र0 से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–354/54–1–13/8(10)/2013 दिनांक 10.10.2013 द्वारा मेसर्स विबग्योर इन्फो प्रा0लि0, लखनऊ का कार्यकाल पूर्व निर्धारित शर्तों एवं सर्विस चार्ज पर 01.07.2013 से 30.09.2013 तक विस्तारित करने का आदेश निर्गत किया गया।

(XXIX) अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।

(XXX) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XXXI) एसएलएनए से प्राप्त सुझाव के अनुरूप क्षमता निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो एसएलएनए के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(XXXII) अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

(XXXII) वांछित कार्यवाही के निर्देश बैठक में दे दिये गये। एसएलएनए स्तर से अनुपालन अपेक्षित नहीं है।

3. आईडब्ल्यूएमपी योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2013–14 के तथा वर्ष 2014–15 के मासांत मई तक की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएलएनए द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक स्वीकृत 471 परियोजनाओं में कुल ₹ 595.32 करोड़ उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2014

तक ₹ 434.44 करोड़ व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष के अन्त में ₹ 160.88 करोड़ अवशेष था। माह अप्रैल एंव मई में ₹ 13.33 करोड़ व्यय किया गया, इस प्रकार माह मई के अन्त में इन परियोजनाओं में ₹ 147.55 करोड़ अवशेष था। वर्ष 2013–14 में कुल उपलब्ध धनराशि एंव उसके सापेक्ष भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की जानकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा चाही गयी। अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 419.86 करोड़ उपलब्ध था जिसके सापेक्ष ₹ 256.30 करोड़ व्यय करके कार्य निष्पादन कराया गया। बैठक में बैचवार स्वीकृत परियोजनाओं में मदवार उपलब्ध करायी गयी धनराशि तथा उसके सापेक्ष मदवार निष्पादित कार्य एंव व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। यह अपेक्षा की गयी कि गत वर्ष में कराये गये कार्यो की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों मे निर्देशानुसार सूचना प्रस्तुत करने का आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया गया।

बैठक में उपस्थित भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि वित्तीय 2014–15 के लिये प्रदेश द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में ₹ 807.05 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 20 मार्च 2014 को सचिव, भूमि संसाधन विभाग,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश द्वारा यह अश्वासन दिया गया कि माह अप्रैल एंव मई में ₹ 80–80 करोड़ व्यय किया जायेगा, जिसके सापेक्ष विगत दो माह की प्रगति अत्यन्त असन्तोषजनक है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार, द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रदेश की खराब प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुये अवगत कराया गया कि समय से उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किये जाने कि स्थिति में उ0प्र0 को ₹ 800 से 1000 करोड़ तक प्राप्त हो सकता था जिसके सापेक्ष मात्र ₹ 88.092 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुआ। प्रदेश में संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने एंव आईडब्ल्यूएमपी योजना के लिये निर्धारित प्रकियात्मक व्यवस्था का अनुसरण करते हुये इस योजना को गति प्रदान करने का सुझाव भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा दिया गया।

4. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.01.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आईडब्ल्यूएमपी योजना में 3.13 लाख हे0 क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करने का अनन्तिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष 49 जनपदों की 58 परियोजनाओं का पीपीआर तैयार किया गया है, जिसका कार्य योग्य क्षेत्रफल 2.92 लाख हे0 है। तैयार किये गये पीपीआर का प्रस्तुतीकरण करते हुये, एसएलएनए से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में यह पृच्छा की गयी कि निर्धारित मानकों पर पीपीआर की फिजीबिलिटी/ वायबिलीटी का तकनीकी परीक्षण किस स्तर पर किया गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पीपीआर का परीक्षण स्टेट लेवेल डाटा सेन्टर के टेक्नीकल एक्सपर्ट्स क्रमशः श्री हरानन्द त्रिपाठी, डॉ0 वी0के0सिंह, डॉ0 जितेन्द्रमणि त्रिपाठी तथा श्री

विकास रस्तोगी द्वारा किया गया है। परीक्षणकर्ताओं से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने को निर्देश दिया गया कि अनुमोदन हेतु प्रस्तुत परियोजनायें आइडब्ल्यूएमपी योजना की गाईड लाईन के निर्धारित मानको के अनुरूप तैयार की गयी हैं। अवगत कराया गया कि भविष्य में प्रस्तुतीकरण के दौरान पीपीआर के साथ वांछित प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा तथा वर्तमान में प्रस्तुत परियोजनाओं के सन्दर्भ में परीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञो से इस आशय का प्रमाण पत्र पत्रावली मे संरक्षित है। दिनांक 27.05.2014 को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आयोजित होने वाली स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वर्ष 2014–15 की परियोजनाओं को Appraised and cleared कराने हेतु प्रस्तुत किया जाना था, अपरिहार्य कारणो से तत्समय एसएलएनए की बैठक का आयोजन नहीं हो पाया अतएव एसएलएनए से परियोजनाये अनुमोदित कराकर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक मे प्रस्तुत नही की जा सकी। अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत परियोजनाओं का अनुमोदन एसएलएनए द्वारा प्रदान किया जायें ताकि समय से भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की आगामी बैठक में Appraised and cleared कराने हेतु प्रस्तुत की जा सके। सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत परियोजनाओं का अनुमोदन एसएलएनए द्वारा प्रदान किया गया।

5. वर्ष 2011–12 की 121 तथा 2013–14 की 64 कुल 185 आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के थीमैटिक मानचित्र, कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजीटाईजेशन तथा 35 परियोजनाओं का डीपीआर लेखन का कार्य रिमोंट सेन्सिगं एप्लीकेशन सेन्टर से 31.03.2014 तक पूर्ण कराने हेतु अनुबंध प्रमुख सचिव, भूमि विकास एंव जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 शासन तथा निदेशक रिमोंट सेन्सिगं एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ के मध्य किया गया था। निदेशक, रिमोंट सेन्सिगं एप्लीकेशन सेन्टर के पत्र दिनांक 04.03.2014 द्वारा कतिपय कारणों से इस कार्य में हो रहे विलम्ब को देखते हुये समय सीमा 30.09.2014 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया था। निदेशक आर0एस0ए0सी0 के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–117/54–01–14/8(15)/2013 टी0सी0–III दिनांक 16.04.2014 द्वारा उपरोक्त कार्य को 30.09.2014 तक पूर्ण कराने की अनुमति प्रदान की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव भारत सरकार द्वारा यह आशंक व्यक्त की गयी कि डीपीआर तैयार करने का कार्य यदि रिमोंट सेन्सिगं एप्लीकेशन सेन्टर से कराया जा रहा है, तो भविष्य में किसी प्रकार की कमी के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा तथा परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् होने वाले परिवर्तन का निराकरण कौन करेगा? इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि डीपीआर के लिये प्राइमरी एंव सेकेण्डरी आँकड़े एकत्रित करने, बेस लाइन सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट प्लानिंग, व्यय आगणन तैयार करने एंव चरणवार कार्य योजना तैयार करने आदि कार्य, कार्यदायी संस्था एंव

सम्बन्धित वाटरशेड समितियों के संयुक्त सहयोग से किया जायेगा। आर0एस0ए0सी0 द्वारा थीमैटिक मानचित्र, कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजीटाईजेशन, पीआईए द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकडों का विश्लेषण तथा डीपीआर लेखन का कार्य किया जाना है। ऐसी स्थिति में डीपीआर में आने वाली किसी भी विसंगति के लियें कार्यदायी संस्था जिम्मेदारी होगी।

यह निर्देशित किया गया कि डीपीआर तैयार किये जाने की प्रक्रिया में वाटरशेड समितियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा उनकी उपेक्षा न की जाये, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरणों को एसएलएनए के मात्र अवगतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, तद्नुसार एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया।

6. केले की फसल के आर्थिकी, प्रदेश की भू–जलवायु की अनुकूलता तथा क्षेत्रीय उत्पादन की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये समेकित जलसंग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम(IWMP) की स्वकृत परियोजनाओं के क्षेत्र में उत्पादन प्रणाली मद कि धनराशि से प्रदेश के 36 जनपदों में केले की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु शासनादेश संख्या 531/54–1–13/1(समादेश)/2009 टी0सी दिनांक 18.11.2013 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया। निर्गत शासनादेश के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव एसएलएनए के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री जगदीश सिंह,उप महानिरीक्षक, वन द्वारा अवगत कराया गया कि आइडब्ल्यूएमपी योजना में उत्पादन प्रणाली के सन्दर्भ में निर्गत दिशा–निर्देश में कृषकों की सामान्य अथवा खराब आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रभावी तरीके अपनाये जाने पर बल दिया गया है। परियोजना की धनराशि को सहभागिता के आधार पर कृषकों की राय से, गुण–दोष को देखते हुये, कार्यक्रम के संचालन पर व्यय करने की आवश्यकता है। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया कि औद्यानिक मिशन में ऐसी फसलों के विकास को कार्यक्रम में सम्मलित किया गया है, अतः ऐसी औद्यानिक परियोजनाओं कों इस योजना में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

यह निर्देशित किया गया कि इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम दो–तीन परियोजना क्षेत्र में कियान्वित किया जाये तथा किसी भी दशा में परियोजना की स्वीकृत धनराशि से कृषक अंश की कटौती कर वाटरशेड डेवलपमेन्ट फन्ड मे न डाली जाये। कृषकों की सहभागिता के आधार पर कार्यक्रम को कियान्वित किया जाये तथा तद्नुसार शासनादेश को रिविजिट कर रिकास्ट किया जाये।

7. आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत उत्पादन प्रणाली की उपलब्ध धनराशि से उद्यानीकरण व एग्रो फारेस्ट्री के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–530/54–1–2013/1(समादेश)/2009टी0सी0 दिनांक 18.11.2013 पर एसएलएनए से कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। एसएलडीसी के टेक्नीकल एक्सपर्ट श्री हरानंद त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्पादन प्रणाली के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी परिवार ₹ 24000.00 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इस मद की अनुमन्य धनराशि के विरूद्ध सामान्य कृषक को 20 प्रतिशत अर्थात ₹ 4800 तथा लघु, सीमान्त, अनुसुचित जाति एंव अनुसुचित जनजाति के कृषको से 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 2400 का अंशदान डब्ल्यूडीएफ के खाते में जमा कराया जाता है। अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत सीडलिंग, फर्टिलाइजर, फेन्सिंग आदि की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्त सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को उपलब्ध कराया जाये, जो विकास निधि की धनराशि स्वेच्छा पूर्वक देने को सहमत हो तथा पूर्ण सहभागिता का भाव रखते हो। तद्नुसार शासनादेश को रिविजिट कर रिकास्ट किये जाने के निर्देश दिये गये।

8. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सात जनपदों में भूमिगत जल की कमी है तथा अधिंकाश क्षेत्र उबड़–खाबड़ है। इस क्षेत्र में उपलब्ध सिचाई जल का बेहतर प्रबंधन कृषि उत्पादन एंव उत्पादकता को बढाने के लिये आवश्यक है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये आईडब्ल्यूएमपी योजना क्षेत्र में वाटरशेड कमेटी द्वारा प्रोडक्शन सिस्टम मद की उपलब्ध धनराशि से ऐसे कृषको को जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है तथा लघु सिंचाई विभाग अथवा कृषि विभाग सें एचडीपीई पाईप सिस्टम की सुविधा प्राप्त नहीं हुई हैं, को यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या– 552/ 54–1–13/ 1(समादेश)/2009 टी0सी0 दिनांक 03.12.2013 एंव शासनादेश संख्या– 576/ 54–1–13/1(समादेश)/2009 टी0सी0 दिनांक 03.12.2013 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया।

उपरोक्त शासनादेश को एसएलएनए के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। यह निर्देशित किया गया कि शासनादेश को स्थगित (STALL) कर रिविजिट किया जाये एवं इसे रिकास्ट कर संशोधित शासनादेश निर्गत किया जाये।

9. आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत लाइवलीहुड एक्टीविटी/प्रोडक्शन सिस्टम मद की उपलब्ध धनराशि से स्वयं सहायता समुहों को जमुनापारी ब्रीड अथवा स्थानीय ब्रीड की (पॉच बकरी + एक बकरा) एक युनिट उपलब्ध कराने के लिये शासनादेश संख्या– 551/54–1–13/1(समादेश)/2009 टी0सी0 दिनांक 03.12.2013 निर्गत किया गया। निर्गत शासनादेश के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को उपलब्ध कराया जाये, जो विकास निधि की धनराशि स्वेच्छा पूर्वक देने को सहमत हो तथा पूर्ण सहभागिता का भाव रखते हो। तद्नुसार शासनादेश को रिविजिट कर रिकास्ट किये जाने के निर्देश दिये गये।

10. जनपद चित्रकूट में वर्ष 2011–12 में स्वीकृत परियोजना आईडब्ल्यूएमपी–XII का अधिकांश क्षेत्र रानीपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव प्रभार, मीरजापुर के नियंत्रण में होने के कारण जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्र संख्या–62/डब्ल्यूसीडीसी/आइडब्ल्यूएमपी/पीआइए/2013–14 दिनांक 12.09.2013 द्वारा इस परियोजना के लिये पूर्व नामित पीआइए भूमि संरक्षण अधिकारी कर्वी–द्वितीय (कृषि विभाग) के स्थान पर रानीपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव प्रभार, मीरजापुर को पीआईए नामित करने का अनुरोध किया गया है। शासन के पत्र संख्या–94/54–1–14/8(22)/2011 दिनांक 27.03.2014 द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट से वन विभाग की सहमति, परियोजना कार्यान्वयन का स्टेट्स रिपोर्ट तथा दिनांक 23.08.2013 एंव 05.09.2013 को डब्ल्यूसीडीसी चित्रकूट की बैठक में वन विभाग को नामित किये जाने सम्बन्धी निर्णय की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी चित्रकूट से किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से एसएलएनए को संज्ञानित कराते हुये, सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत चर्चा हुयी। वन विभाग एंव कृषि विभाग के भी अधिकारी उपस्थित थे। आईडब्ल्यूएमपी–XII का अधिकांश क्षेत्र वन्य जीव विहार में होने के कारण इस परियोजना क्षेत्र में वन विभाग के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः एसएलएनए द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आईडब्ल्यूएमपी–XII के लिये परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी भूमि संरक्षण अधिकारी कर्वी–द्वितीय (कृषि विभाग) के स्थान पर रानीपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव प्रभार, मीरजापुर को नामित कर दिया जाय। तद्नुसार शीघ्र आदेश निर्गत कराने का निर्देश दिया गया।

11. अपरिहार्य कारणों से सेवा प्रदाता के चयन में हुये विलम्ब के कारण सेवा प्रदाता का कार्यकाल अध्यक्ष/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय से प्राप्त अनुमोदन दिनांक 07.10.2013, 31.10.2013, 03.12.2013, 03.03.2014 तथा 27.03.2014 के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0–491/54–1–13/8/13 सेल दिनांक 10.10.2013 द्वारा 01.10.2013 से 31.10.2013 तक, शासनादेश सं0–521/54–1–10/8(14)/टीसी सेल दिनांक 06.11.2013 द्वारा 01.11.2013 से 30.11.2013 तक, शासनादेश सं0–561/54–1–10/ 8(14)/टीसी सेल दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 द्वारा 01.12.2013 से 31.12.2013 तक, शासनादेश सं0–75/5–1–14/8(14)/टीसी/ईओआई/2013–टीसी दिनांक 05.03.14 द्वारा 01.01.2014 से 31.03.2014 तक तथा शासनादेश सं0–113/54–1–14/8(14)/ ईओआई/ 2013–टीसी दिनांक 07.04.2014 द्वारा 01.04.2014 से 30.06.2014 तक पूर्व निर्धारित सेवा शर्तों एवं सर्विस चार्ज पर विस्तारित किया गया।

उपरोक्त स्थिति से एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया।

12. एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी एंव पीआइए स्तर पर टेक्निकल एक्सपर्ट/कार्मिक तथा डब्ल्यूडीटी के सदस्यों को उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदाता के चयन की प्रकिया को अपरिहार्य

कारणो से निरस्त करना पड़ा। नये सिरे सें सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने मे लगभग 3 माह का समय लगना सम्भावित है। अतः वर्तमान सेवा प्रदाता मेसर्स विबग्योर इन्फो प्रा0 लि0 को पूर्व सेवा शर्तो एंव सर्विस चार्ज (0.4%) पर 01.07.2014 सें 31.10.2014 तक सेवा विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

एसएलएनए में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मेसर्स विबग्योर इन्फो प्रा0 लि0 सेवा प्रदाता की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा नये सिरे से सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

13. एसएलडीसी, डब्ल्यूसीडीसी एंव पीआईए स्तर पर टेक्निकल एक्सपर्ट/कार्मिक एंव डब्ल्यूडीटी उपलब्ध कराने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का विज्ञापन दिनांक 03.12.2013 को दैनिक जागरण एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित कराया गया। ईओआई प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20.12.2013 तक कुल 07 प्रस्ताव प्राप्त हुये। प्राप्त प्रस्तावों के टेक्निकल/फाइनेंशियल बिड्स पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–562/54–1–10–8(14) ईओआई दिनांक 09.12.2013 द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के टेक्निकल बिड्स दिनांक 24.12.2013 को खोले गये, किन्तु अपरिहार्य कारणों से उनके परीक्षणोंपरांत अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी और न ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवृत्त निर्गत किया गया। समिति के सदस्यों के बार–बार स्थान्तरित होने तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 के लिये आचार संहिता लागू होने के कारण टेक्निकल बिड्स के परिक्षण की कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में की गयी कार्यवाही को यथास्थिति निरस्त करते हुये नये सिरे से निविदा कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया।

14. एसएलडीसी के विशेषज्ञों/कार्मिकों के मानदेय के भुगतान हेतु संस्थागत मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अर्जित ब्याज की धनराशि से ₹ 17.55 लाख से माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2013 एवं जनवरी, 2014 तक किये गये भुगतान का कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव एसएलएनए के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एसएलडीसी के तकनीकी विशेषज्ञो/कार्मिको के मानदेय के भुगतान हेतु संस्थागत मद में विगत कई महीनों से धनराशि उपलब्ध नहीं थीं। अतः अपरिर्हाय परिस्थिति में संस्थागत मद में अर्जित ब्याज की धनराशि से कार्मिको के मानदेय का भुगतान किया गया हैं। संस्थागत मद में धनराशि उपलब्ध होने पर इसका समायोजन कर लिया जायेगा। माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2013 एवं जनवरी, 2014 तक किये गये मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया।

15. संस्थागत मद में धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण एसएलडीसी के विशेषज्ञों एवं कार्मिकों के मानदेय का भुगतान माह फरवरी से लम्बित है। वर्तमान समय में संस्थागत मद के खाते में अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 9.69 लाख जमा है। माह फरवरी एवं मार्च 2014 के मानदेय पर ₹ 8.67 लाख का भुगतान किया जाना है। संस्थागत मद में अर्जित ब्याज की

धनराशि से माह फरवरी एवं मार्च के मानदेय का भुगतान ₹ 8.67 लाख किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विगत पाँच माह के मानदेय का भुगतान एसएलडीसी के कार्मिकों का भुगतान नहीं किया जा सका है, इससे एसएलडीसी के कार्मिकों में हताशा एंव निराशा व्याप्त है। संस्थागत मद के खाते में अर्जित ब्याज की धनराशि सें माह फरवरी एवं मार्च के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से एसएलएनए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार से संस्थागत मद में शीघ्र धनराशि प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयें तथा भविष्य में ब्याज की धनराशि सें मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया।

16. जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्र संख्या–107 डब्ल्यूसीडीसी/आईडब्ल्यूएमपी/बजट समा–निर्देश/ 2013–14 दिनांक 11.03.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 की स्वीकृत परियोजना आईडब्ल्यूएमपी–I तथा वर्ष 2010–11 की स्वीकृत परियोजना आईडब्ल्यूएमपी–IV के डीपीआर तैयार करने के समय किये गये विस्तृत सर्वेक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आईडब्ल्यूएमपी–I परियोजना में 410 हे0 तथा आईडब्ल्यूएमपी–IV परियोजना में 183 हे0 वन क्षेत्र सम्मिलित है। वन क्षेत्र को कार्य योग्य क्षेत्र में से घटाकर परियोजना के डीपीआर को अन्तिम रूप दिया गया है। प्रश्नगत परियोजनाओं के डीपीआर ऑनलाइन किये जा चुके हैं। आईडब्ल्यूएमपी–I परियोजना के क्षेत्र में 6.19 प्रतिशत तथा आईडब्ल्यूएमपी–IV परियोजना के क्षेत्र में 3.15 प्रतिशत की कमी आयी है। आईडब्ल्यूएमपी–I परियोजना को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष ₹ 32.583 लाख तथा आईडब्ल्यूएमपी–IV परियोजना में ₹ .132 लाख कुल ₹ 32.715 लाख डब्ल्यूसीडीसी के परियोजना खाते में बचत के रूप में उपलब्ध है। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध अवशेष धनराशि के समायोजन/उपभोग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश की मांग की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन देने से पूर्व परियोजनाओं के क्षेत्र में हुई कमी के कारण परिवर्तित परियोजना क्षेत्र का अनुमोदन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदानुसार परियोजनाओं के क्षेत्र में आई कमी के कारण आईडब्ल्यूएमपी–I परियोजना का क्षेत्र 6624 के स्थान पर 6214 हे0 किये जाने तथा आईडब्ल्यूएमपी–IV परियोजना का क्षेत्र 5805 के स्थान पर 5622 हे0 किये जाने के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एसएलएनए को अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र में आने वाले किसी भी प्रकार के अन्तर का अनुमोदन एसएलएनए से प्राप्त करने के उपरान्त भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त करना आवश्यक होता हैं। एतद्कम में अध्यक्ष डब्ल्यूसीडीसी/जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एसएलएनए

के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से एसएलएनए द्वारा परियोजना क्षेत्र में हुये परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

17. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित एनजीओ/एजेंसीज को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु EOI के विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 10.05.2013 को कराया गया। अंतिम तिथि दिनांक 10.06.2013 तक कुल 219 प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिनकी स्क्रीनिंग हेतु प्रमुख सचिव भूमि विकास एवं जल संसाधन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कार्यालय ज्ञाप सं0–302(1)/ 54–1–13/8(16)/ 2010 टी.सी. दिनांक 19.06.2013 द्वारा किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें क्रमशः दिनांक 25.06.2013 एवं 25.09.2013 को आयोजित की गयीं, किंतु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवृत्त निर्गत नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा एनजीओ/एजेंसीज को पीआईए के पैनल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठित एनजीओ/एजेंसीज को पीआईए के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रकाशित ईओआई (Expression of Intrest) का विधीक्षण भी न्याय विभाग से नहीं कराया गया था। अतः ऐसी स्थिति में जबकि ईओआई (Expression of Intrest) के सापेक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नियत अंतिम तिथि 10.06.2013 के व्यपगत होने के पश्चात् एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। प्राप्त 219 प्रस्तावों को यथास्थिति निरस्त करने हेतु एसएलएनए के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विगत एक वर्ष सें अधिक समय से परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी के पैनल में एनजीओ को सम्मिलत किये जाने सम्बन्धी लम्बित 219 प्रस्तावों को सम्यक विचारोपरान्त यथास्थिति निरस्त करने के निर्णय से एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया।

18. आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित एनजीओ/एजेंसीज को Resource Support Organization (RSO) के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु EOI के विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 21.05.2013 को कराया गया। अंतिम तिथि दिनांक 20.06.2013 तक कुल 224 प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिनकी स्क्रीनिंग हेतु प्रमुख सचिव भूमि विकास एवं जल संसाधन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कार्यालय ज्ञाप सं0–372)/54–1–13/ 8(24)/2013 टी.सी. दिनांक 22.07.2013 द्वारा किया गया तथा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें क्रमशः दिनांक 25.09.2013 एवं 03.10.2013 को आयोजित की गयीं, किंतु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवृत्त निर्गत नहीं है। प्राप्त प्रस्तावों का Presentation सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा समिति के समक्ष दिनांक 21.10.2013 से 30.10.2013 के मध्य किया गया, किन्तु समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अतः ऐसी स्थिति में जबकि EOI के सापेक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नियत अंतिम तिथि 20.06.2013 के व्यपगत होने के पश्चात् एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया जा

सका है। प्राप्त 224 प्रस्तावों को यथास्थिति निरस्त करने हेतु एसएलएनए के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विगत एक वर्ष सें अधिक समय से Resource Support Organization (RSO) के पैनल में एनजीओ को सम्मिलत किये जाने सम्बन्धी लम्बित 224 प्रस्तावों को सम्यक विचारोपरान्त यथास्थिति निरस्त करने के निर्णय से एसएलएनए को संज्ञानित कराया गया।

19. सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–631/बीस–1–ई–2014–यू0ओ0–75/14 दिनांक 17 अप्रैल, 2014 द्वारा सिंचाई विभाग (विभागीय कोड संख्या–27) व भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग (विभागीय कोड संख्या–54) का संविलियन करते हुये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के रूप में नये विभाग का गठन किया गया। विभागों के पुर्नगठन के क्रम में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग से IWMP का कार्य स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित परती भूमि विकास विभाग (विभागीय कोड संख्या–85) को स्थानान्तरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग(कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा) IWMP योजना के प्रारम्भ होने अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक परियोजना हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्यरत रहा है तथा कुल स्वीकृत 538 IWMP परियोजनाओं में से 501 परियोजनाओं के PIA भी इस विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयां है। उक्त परियेाजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं दोनों विभागाध्यक्षों को एसएलएनए का सदस्य नामित किये जाने का औचित्य है। अतएव प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश एवं रामगंगा समादेश को एसएलएनए का सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थागत व्यवस्था एंव विभागीय ढांचा सुदृढ करने पर बल दिया गया। इस प्रस्ताव पर पृथक से पत्रावली पर टिप्पणी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

20. प्री–आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं क्रमशः डीपीएपी, डीडीपी एवं आईडब्ल्यूडीपी के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2009–10 से आईडब्ल्यूएमपी योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया। उत्तर प्रदेश में प्री–आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–59जी/38–2–76 दिनांक 12.03.1976 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त के नियंत्रण में सूखा उन्मुख तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के लिये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सेल की स्थापना की गयी थी, जिसमें कुल 11 पद स्वीकृत थे तथा कार्यालय ज्ञाप सं0–275/12 (क्षे0वि0–1)–178/76 दिनांक 12.10.1976 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त के नियंत्रण में क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के लिये एक अन्य प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सेल की स्थापना की गयी, जिसमें कुल 11 पद स्वीकृत थे। शासन के क्षेत्रीय विकास अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–यूओ/255/54–2–83 दिनांक 29.09.1983 द्वारा उक्त सेलों के स्थान पर उनके लिये स्वीकृत पदों का आवश्यकतानुसार उपयोग करते हुये कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास की

शाखा में एक समन्वित प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सेल की स्थापना की गयी। नवसृजित समन्वित प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सेल में प्रोजेक्ट इकोनॉमिस्ट के स्थान पर संयुक्त निदेशक का पद सृजित किया गया। भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग (तत्कालीन क्षेत्रीय विकास विभाग) के कार्यालय ज्ञाप सं0–2958/54–2–2005–सीएडी 167/77 दिनांक 16.11.2005 द्वारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सेल का नाम परिवर्तित करते हुये समादेश बंधु कर दिया गया। वर्ष 1983 से संयुक्त निदेशक के नियंत्रणाधीन गठित प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सेल (वर्तमान समादेश बंधु) द्वारा प्री–आईडब्ल्यूएमपी (डीपीएपी एवं आईडब्ल्यूडीपी) तथा समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम (काडम) का कार्य शासन के सहयोगी प्रकोष्ठ के रूप में देखते हुये, वाटरशेड विकास परियोजनाओं हेतु निर्गत समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथासंशोधित 2011), के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 से IWMP से सम्बन्धित पत्रावलियों को व्यवहृत किया जा रहा है। विभागों के पुर्नगठन के परिणामस्वरूप आईडब्ल्यूएमपी योजना की पत्रावलियों को व्यवहृत करने की व्यवस्था यथावत् बनाये रखने एवं संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए बनाये जाने हेतु एसएलएनए के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परती भूमि विकास विभाग में मात्र एक अनुभाग है। इसकी विभागीय संरचना भी इस प्रकार की नही है कि समेकित जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) जैसी तकनीकी परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान कर सके। विघटित भूमि विकास एंव जल संसाधन विभाग (वर्तमान सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग) के सहयोगी तकनीकी प्रकोष्ट के रूप में शासन स्तर पर गठित समादेश बन्धु की विगत् 30 वर्षो से अधिक समय से जल संग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आईडब्ल्यूएमपी योजना के प्रारम्भ सें इससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यो का निस्तारण, पत्रावलियों का संचालन एवं रख–रखाव समादेश बन्धु द्वारा ही किया जाता रहा हैं। अतः यह आवश्यक है कि आईडब्ल्यूएमपी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समादेश बन्धु से ही पत्रावलियां व्यवहृत की जाये। यह भी अवगत कराया गया कि नोडल विभाग में तैनात संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव/सचिव स्तर के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को एसएलएनए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। इस पद पर तैनात अधिकारियों के बार–बार स्थानान्तरित होने के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति सें समादेश बन्धु को आईडब्ल्यूएमपी योजना के सहयोगी प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करने तथा आगामी एक वर्ष के लिये संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु को अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएलएनए नामित करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

21. एसएलएनए के संस्थागत ढ़ांचे में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। अतः आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एसएलडीसी स्तर पर लेखों के रख–रखाव एवं नियमित अनुश्रवण हेतु शारदा सहायक समादेश/रामगंगा समादेश से 04 लेखाकार एवं 01 कनिष्ठ/ वरिष्ठ लिपिक तथा 02 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति

पर एसएलएनए में तैनात किये जाने हेतु एसएलएनए के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एसएलएनए के संस्थागत व्यवस्था में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। कार्यदायी संस्था के रूप में शारदा सहायक समादेश एंव रामगंगा समादेश की भूमि संरक्षण इकाइयों परियोजना कियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। अतः अध्यक्ष एंव प्रशासक शारदा सहायक समादेश एंव रामगंगा समादेश से नियमित कार्मिक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में एसएलएनए द्वारा सहमति व्यक्त की गयी साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि एसएलडीसी हेतु संस्थागत व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मानदेय की सीमा मे लेखा एंव अन्य संवर्ग के सेवानिवृत्त कार्मिकों का चयन किया जाये।

22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आईडब्ल्यूएमपी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 तक 538 परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल 33.82 लाख हे0 है तथा उपचार योग्य क्षेत्रफल 26.50 लाख हे0 है। स्टेट पर्सपेक्टिव एण्ड स्ट्रैटजिक प्लान (SPSP) के अनुसार यह योजना वर्ष 2026–27 तक के लिये स्वीकृत है। इस अवधि में प्रदेश की 80.11 लाख हे0 भौगोलिक क्षेत्रफल को उपचारित किया जाना है। इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 03–04 लाख हे0 भौगोलिक क्षेत्र उपचारित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत परियोजनाओं में से 501 परियोजनाओं में शारदा सहायक समादेश एवं रामगंगा समादेश की भूमि संरक्षण इकाइयां पीआईए नामित हैं, जबकि शेष 37 परियोजनाओं का पीआईए कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयां है। SPSP में निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत कृषि विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों की क्षेत्रीय इकाइयों को पीआईए नामित किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार एसएलएनए के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त एसएलएनए द्वारा प्रस्ताव को स्थगित (Deferred) किया गया।

23. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सें :–

(क) आईडब्ल्यूएमपी योजना के कियान्वयन में गति प्रदान करने पर बल दिया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि एसएलएनए की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक त्रैमास पर आयोजित करायी जायें।

(ख) संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में मॉनीटरिंग एंव इवैल्यूएशन एजेन्सी के चयन हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये TOR पर अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा इस कार्यवाही को 31 जुलाई, 2014 तक पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में मॉनीटरिंग एंव इवैल्यूएशन के लिये तैयार

किये गये TOR के सन्दर्भ में पूर्व में चयनित संस्था को निर्गत शासनादेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही भारत सरकार के TOR के अनुरूप मॉनीटरिंग एंव इवैल्यूएशन संस्था के चयन की प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी, यथासम्भव मासान्त अगस्त, 2014 तक इस कार्यवाही को पूर्ण कर लिया जायेगा।

अन्त में बैठक मे उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

(देबाशीष पण्डा)
सदस्य सचिव, एसएलएनए /
प्रमुख सचिव, परती भूमि
विकास विभाग

दिनाँक **11.07.2014 (शुक्रवार)** को स्टेट लेबिल नोडज एजेन्सी के अध्यक्ष/कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 16वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण :–

क0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/विभाग का नाम
1.	श्री संदीप दवे, संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार
2.	श्री जगदीश सिंह, उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार
3.	श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
4.	श्री राजेश कुमार, कन्सलटेन्ट, एन0आर0ए0ए0, भारत सरकार
5.	श्री अमृत त्रिपाठी, विशेष सचिव, उद्यान, उ0प्र0शासन
6.	श्री एच.एस. चतुर्वेदी, विशेष सचिव, पंचायतीराज विभाग , उ0प्र0शासन
7.	श्री अनिल कुमार सिंह, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास
8.	श्री आनन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, परती भूमि विकास विभाग,उ0प्र0शासन
9.	श्री डी.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0 शासन
10.	श्री दयाशंकर सिंह, संयुक्त सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन
11.	श्री अमरनाथ उपाध्याय,उपसचिव, उद्यान एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0शासन
12.	श्री कृपाशंकर सिंह, अनुसचिव, वन विभाग, उ0प्र0शासन
13.	श्री एस.पी.जोशी, निदेशक , उद्यान एंव खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0
14.	डा0 रूद्र प्रताप, निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुपालन,उ0प्र0
15.	श्री देवेन्द्र मिश्र, कार्यवाहक, निदेशक, आर0एस0ए0सी0,उ0प्र0
16.	श्री एस.के.शर्मा. अपर प्रमुख वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, वन, उ0प्र0
17.	श्री मदन पाल आर्य, प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड कानपुर,उ0प्र0
18.	श्री सत्येन्द्र सिंह, प्रशासक, शारदा सहायक कमांड, लखनऊ,उ0प्र0
19.	डॉ0 अनिल कुमार, महाप्रबन्धक, पीसीडीएम (दुग्ध विभाग), उ0प्र0
20.	डा0 पी.चन्द्रा,एसआईआरडी,लखनऊ,उ0प्र0
21.	श्री एम.पी.सिंह, अपर कृषि निदेशक, कृषि,उ0प्र0
22.	श्री एस.बी.शर्मा,संयुक्त निदेशक उद्यान,उ0प्र0
23.	श्री राजीव मोहन, प्रभागाध्यक्ष, सतही जल संसाधन, आरएसएसी, लखनऊ
24.	श्री उग्रसेन शाही, संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु,उ0प्र0शासन
25.	श्री सदुर्शन यादव, संयुक्त निदेशक, शारदा सहायक कमाण्ड,लखनऊ, उ0प्र0
26.	श्री साहब सिंह,संयुक्त निदेशक, रामगंगा कमाण्ड, कानपुर,उ0प्र0
27.	डॉ. विभु सरीन, आर0एस0ए0सी0,उ0प्र0
28.	श्री धनन्जय सिंह, वित्त नियंत्रक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, लखनऊ
29.	श्री राजेश सिंह, वित्त नियंत्रन, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर
30.	श्री शोभा राम श्रीवास्तव, प्रविधिक अधिकारी, कृषि विभाग,उ0प्र0
31.	श्री वी.के.सिन्हा, परियोजना निदेशक, ब्रान्च, लखनऊ,लघु सिंचाई विभाग
32.	श्री एस.के.वर्मा, उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, मण्डल– चित्रकूट
33.	श्री के.के. सिंह, उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, मण्डल– फैजाबाद
34.	श्री पी.सी.वर्मा,उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, मण्डल–झॉसी–2

35.	श्री पी.एन.सिंह, उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, मण्डल–बस्ती
36.	श्री के.के.रस्तोगी, उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, मण्डल–बरेली
37.	श्री मुखराम, उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, मण्डल–सहारनपुर
38.	श्री राजेन्द्र बहादुर, प्रभारी उप निदेशक, सिचांई एंव जल संसाधन विभाग,वाराणसी
39.	श्री अनिल कुमार शर्मा,उपनिदेशक,सिचाई एंव जल संसाधन विभाग, मुरादाबाद
40.	मो0 आदिल, उप निदेशक, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग , अलीगढ
41.	श्री आर.एन.सिंह, उपनिदेशक,सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, देवी पाटन (गोण्डा)
42.	श्री पूरन सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग
43.	श्री वी.के. सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एंव जलसंसाधन
44.	श्री मोतीराम,भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एंव जलसंसाधन, इलाहाबाद
45.	श्री राजेन्द्र सिंह, भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एंव जलसंसाधन, मीरजापुर